[1998] 3 SCR 201

बिहार राज्य

बनाम

कमला प्रसाद सिंह और अन्य

6 मई, 1998

[जी. टी. नानावती और एस. पी. कुर्दुकर, न्यायमूर्तिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 190,197 और 202-पुलिस अधिकारियों का अभियोजन-मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान- सरकार की मंजूरी की आवश्यकता-धारा 202 के तहत जांच के बाद- मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि पुलिस अधिकारियों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए या उद्देश्यपूर्ण कार्य किया है-माना जाता है कि सरकार द्वारा उचित मंजूरी के बिना कथित अपराधों का कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना के न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक पुलिस पक्ष जिसमें प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 4 ने बिना किसी तलाशी के उसके घर पर छापा मारा और उसकी पत्नी पर हमला किया, उसके और घर में मौजूद अन्य लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया और उससे संबंधित कुछ सामान ले गए। मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 202 में जांच करने के बाद में पाया गया कि छापेमारी तीन पुलिस अधिकारियों द्वारा एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की देखरेख में की गई थी और चूंकि कथित कार्य प्रत्यर्थीगण 2 से 4 द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए किए गए प्रतीत होते हैं, इसलिए संहिता की धारा 197 की मंजूरी के अभाव में अपराधों का कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संहिता की धारा 197 की कोई मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी, और मजिस्ट्रेट को आगे की जांच करने का निर्देश दिया। नतीजतन, मजिस्ट्रेट ने अपराधों का संज्ञान लिया और प्रत्यर्थीगण नं. 2 से 4 के विरुद्ध प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दिया। राज्य ने वर्तमान अपील में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी।

राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि मजिस्ट्रेट को केवल शिकायत में लगाए गए आरोपों पर विचार करने की आवश्यकता है और किसी अन्य सामग्री पर नहीं , और यह कि धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता की जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य शिकायत में लगाए गए आरोपों का समर्थन किया।

अपील को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने अवधारित किया-

1.1 प्रत्यर्थीगण 2 से 4 द्वारा किए गए कथित अपराधों का कोई संज्ञान सरकार की उचित मंजूरी के बिना नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि उनके द्वारा उचित वारंट प्राप्त करने के बाद तलाशी ली गई थी, और यह दिखाने के लिए कोई विश्वसनीय सामग्री नहीं है कि उन्होंने वादी की पत्नी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार या हमला किया था या वादी से संबंधित किसी भी वस्तु का दुर्विनियोग किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जो किया वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए या करने के उद्देश्य से किया गया था।[205-एफ-जी]

1. 2.उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष को दर्ज करते हुए कहा कि शिकायत में बताई गई घटना का अभियोजन पक्ष गवाहों द्वारा समर्थन किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि उन गवाहों के साक्ष्य का अध्ययन नहीं किया गया है। मजिस्ट्रेट के आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष का समर्थन कर सके। इसके विपरीत मजिस्ट्रेट ने कहा है कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वादी की पत्नी पर प्रत्यर्थी 2 से 4 में से किसी ने भी हमला किया या दुर्व्यवहार किया।[205-बी-सी]

1. 3.उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि मजिस्ट्रेट को केवल शिकायत में लगाए गए आरोपों पर विचार करना चाहिए था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कथित कार्य प्रत्यर्थीगण 2 से 4 द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किए गए थे या नहीं। उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि वादी द्वारा भौतिक तथ्यों को दबा दिया गया था और शिकायत में लगाए गए कुछ आरोप सही नहीं थे।[204-जी-एच; 205-ए-डी-ई]

1. 4.जाँच के दौरान अन्तर्गत धारा 202 सीआर. पी. सी. यह रिकॉर्ड पर आया था कि वादी और प्रत्यर्थी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। प्रत्यर्थी सं. 2 ने वादी की गिरफ्तारी और उसके परिसर की तलाशी के लिए वारंट प्राप्त किया था । यह छापेमारी एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की देखरेख में की गई थी। तलाशी और जब्ती के संबंध में उचित सूचियाँ बनाई गईं और उनकी प्रतियाँ वादी के बहनोई को दी गईं। प्रत्यर्थीगण 2 से 4 के कृत्यों की निगरानी करने वाले कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई थी। शिकायत में लगाए गए आरोपों पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा इन सभी सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः1989 की आपराधिक अपील सं. 769।

अपीलार्थी के लिए प्रमोद स्वरूप।

प्रत्यर्थीगण की ओर से अनिल कुमार झा और श्री अखिलेश कुमार पांडे।

न्यायालय का निर्णय नानावती, न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया था।

यह अपील आपराधिक संशोधन सं. 799/1982 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

प्रत्यर्थी नंबर 1 कमला प्रसाद सिंह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना की अदालत में शिकायत दर्ज कराई है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने तलाशी का कोई वारंट प्राप्त किए बिना उसके घर पर

दिनांक 30.3.1982 को छापा मारा और तलाशी लेते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 ने उसकी पत्नी पर हमला किया, उसे और घर में मौजूद अन्य व्यक्तियों को गाली दी और उससे संबंधित कुछ सामान ले गए। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 ने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 451,452,453,456,457,458,380,334,426 और 120 बी के तहत दंडनीय अपराध किए हैं।

मजिस्ट्रेट ने वादी का बयान दर्ज करने के बाद उसके बयान की शुद्धता के बारे में कुछ संदेह महसूस किया और इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच करने का फैसला किया। जाँच के दौरान वादी , उसकी पत्नी और उसके दो बहनोई, जो घटना के समय मौजूद बताए गए थे, से पूछताछ की गई। वादी ने श्री से पूछताछ करने से इनकार कर दिया। जे. सी. दास, कार्यकारी मजिस्ट्रेट जो उस समय भी मौजूद थे जब छापा मारा गया था। इस प्रकार एकत्र किए गए साक्ष्य पर विचार करने के बाद, विद्वान मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उसकी पत्नी पर हमला किया गया था या 2 से 4 प्रत्यर्थीगणओं ने उसके साथ या घर में किसी अन्य व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया था। विद्वान मजिस्ट्रेट ने यह भी पाया कि छापेमारी तीन पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट श्री जे. सी. दास की देखरेख में की गई थी। उन्होंने यह भी पाया कि तलाशी और जब्ती की सूची तैयार की गई थी और इसकी प्रतियां वादी के बहनोई नागेंद्र कुमार को दी गई थीं, जो छापे के समय मौजूद थे। यह विद्वान मजिस्ट्रेट को दिखाई दिया कि 2 से 4 प्रत्यर्थीगण द्वारा किए गए कथित कार्य उनके कार्यालय के रंग के तहत और अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए किए गए थे। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया कि संहिता की धारा 197 के तहत आवश्यक मंजूरी के अभाव में उनके खिलाफ किसी भी अपराधों का कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।

इस आदेश से आहत होकर वादी ने उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा बताए गए प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किए बिना और 204 को देखे बिना स्वयं एक अभिलेख में कहा गया है कि "शिकायत में बताई गई घटना के संस्करण का अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा समर्थन किया गया है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि भले ही साक्ष्य को सही माना जाए, कोई अपराध नहीं बनता है।" उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि केवल शिकायत में लगाए गए आरोपों पर ही विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा विचार किया जाना चाहिए था और आरोपों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पुलिस अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। अतः इसने अभिनिर्धारित किया कि धारा 197 Cr.P.C के तहत किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण आवेदन को मंजूरी दी और मजिस्ट्रेट को कानून के अनुसार आगे की जांच करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में 22.8.1987 पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपराधों का संज्ञान लिया और प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दिया।

राज्य ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ यह अपील दायर की है। प्रत्यर्थी संख्या 2 और 4 ने उन्हें अपीलार्थीगण के रूप में स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।इसमें कहा गया है कि इस अपील के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 3 की मृत्यु हो गई है।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो तर्क दिया गया है वह यह है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में कानून की त्रुटि की है कि विद्वान मजिस्ट्रेट को केवल शिकायत में लगाए गए आरोपों पर विचार करने की आवश्यकता थी और कोई अन्य सामग्री नहीं थी।उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने गलती से कहा है कि धारा 202 के तहत जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य शिकायत में लगाए गए आरोपों का समर्थन करते हैं।

वादी के विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर कोई विवाद नहीं किया कि धारा 202 के तहत जांच के दौरान यह रिकॉर्ड में आया है कि वादी के खिलाफ 30.3.82 पर एक अपराध दर्ज किया गया था और प्रत्यर्थी संख्या 2 ने वादी की गिरफ्तारी और उसके परिसर की तलाशी के लिए वारंट प्राप्त किया था। मान लीजिए, छापा पर्यवेक्षण या श्री जे. सी. दास एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के तहत चलाया गया था, जिन्हें प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उस प्रभाव के लिए किए गए अनुरोध पर छापे की निगरानी के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया था। साक्ष्य से आगे पता चलता है कि तलाशी और जब्ती के संबंध में उचित सूचियाँ जी बनाई गई थीं और उनकी प्रतियाँ नागेंद्र को दी गई थीं। श्री जे. सी. दास, जो प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के कृत्यों की निगरानी कर रहे थे, के पास किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई थी। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा इन सभी साक्ष्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और इसलिए उच्च न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में स्पष्ट रूप से गलत था कि विद्वान मजिस्ट्रेट को केवल शिकायत में लगाए गए आरोपों पर विचार करना चाहिए था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कथित कार्य प्रत्यर्थीगण 2 से 4 द्वारा किए गए थे।

उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष भी दर्ज किया था कि शिकायत में बताई गई घटना के संस्करण का अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा समर्थन किया गया है। उच्च न्यायालय के फैसले से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने उन गवाहों के साक्ष्य का अध्ययन नहीं किया था। यह निर्णय के पैराग्राफ 3 में उच्च न्यायालय द्वारा किए गए अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि, "यह उस आदेश से प्रतीत होता है जिसमें साक्ष्य को विस्तार से निर्धारित किया गया है।" विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष का समर्थन कर सके। इसके विपरीत विद्वान मजिस्ट्रेट ने कहा है कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वादी की पत्नी को 2 से 4 प्रत्यर्थीगणओं में से किसी ने भी प्रताड़ित या दुर्व्यवहार किया था। यह दिखाने के लिए भी कोई सामग्री नहीं थी कि वादी से संबंधित किसी भी वस्तु का 2 से 4 प्रत्यर्थीगणों में से किसी ने भी दुरुपयोग किया था। इसके विपरीत सामग्री से पता चलता है कि जब्ती सूची तैयार की गई थी और उसकी प्रतियां वादी के बहनोई को दी गई थीं जो मौजूद थे। इस प्रकार जाँच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि वादी द्वारा भौतिक तथ्यों को दबा दिया गया था और शिकायत में लगाए गए कुछ आरोप सही नहीं थे। उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि सक्षम प्राधिकारी से वारंट प्राप्त करने के बाद 2 से 4 प्रत्यर्थीगणओं द्वारा तलाशी ली गई थी और छापेमारी की निगरानी के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट को मौजूद रखा गया था। शिकायत में अब आरोप लगाए गए किसी भी दुर्व्यवहार या अवैध कृत्यों के बारे में उन्हें कोई शिकायत नहीं की गई थी। आश्चर्य की बात यह है कि वादी जो तलाशी के दौरान अपने घर लौटा था, यह जानकर उसके घर में प्रवेश नहीं किया कि पुलिस तलाशी ले रही है और चुपचाप उस जगह से चला गया।

जैसा कि प्रत्यर्थी 2 से 4 द्वारा उस उद्देश्य के लिए एक उचित वारंट प्राप्त करने के बाद तलाशी ली गई थी और क्योंकि यह दिखाने के लिए कोई विश्वसनीय सामग्री नहीं है कि उन्होंने वादी की पत्नी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार या हमला किया था, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जो किया था वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय या अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए किया गया था। इसलिए, सरकार की उचित मंजूरी के बिना कथित अपराधों का कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता था। इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित 22.8.1997 के आदेश को भी दरकिनार करते हैं।

अपील मंजूर की गई।

Vetting and verification

by

surendra prasad mishra